International Journal of Humanities and Social Science Research
www.socialsciencejournal.in
ISSN: 2455-2070
Received: 30-10-2021, Accepted: 15-11-2021, Published: 30-11-2021
Volume 7, Issue 6, 2021, Page No. 71-75

आज की महिलाओं में राजनीतिक चेतना एवं संवैधानिक प्रावधानों की सार्थकता 'तहसील बाजपुर की अनुसूचित जाति के विशेष संदर्भ में'

डॉ. नेहा गुप्ता
असिस्टेंट प्रोफेसर (समाजशास्त्र विभाग), डॉ. सुशीला तिवारी महाविद्यालय, सितारगंज, उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड, भारत

सारांश
भारत एक लोकतांत्रिक संघीय प्रदेश है। इसकी आत्मा संविधान में निवास करती है। संविधान की सफलता प्रदेश की जनता के जगारूकता स्तर पर निर्भर करती है। आजादी के पश्चात समाज के उन वर्गों को जो वर्षों तक हासिए पर जीवन यापन करने को मजबूर थे, के सामाजिक–आर्थिक उन्नयन के लिए अनेक संवैधानिक एवं वैधानिक प्रावधान किये गये। लेकिन अज्ञानता, पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना, जागरूकता का अभाव समेत कई ऐसी बाधाएं थी जिनको पार किये बिना इन प्रावधानों का लाभ प्राप्त करना दुष्कर था। इन्हीं कारणों से एक लंबे समयांतराल तक इन प्रावधानों का अपेक्षित लाभ वंचित वर्ग को प्राप्त नहीं हो सका था। सूचना क्रांति का अकल्पनीय प्रभाव तथा सामाजिक एवं सरकारी संस्थाओं के निरंतर प्रयासों के कारण आज इनकी जागरूकता स्तर में परिवर्तन हुआ है। ऐसे में आज यह जानना यह अत्यन्त महत्वपूर्ण हो जाता है कि समाज का एक ऐसा वर्ग जो वर्षों तक उपेक्षा एवं वंचना की शिकार रही, की राजनीति के प्रति क्या मनोवृत्ति है। महिला इन्हीं वर्गों में एक है।
अनुसूचित जाति वर्षों तक उपेक्षा एवं शोषण की शिकार रही है। हासिए पर जीवन जीने को अभिशप्त इस जाति की सामाजिक–आर्थिक स्थिति औपनिवेशिक काल तक अत्यन्त दयनीय थी। ऐसे में संविधान निर्माण के समय इन्हें आरक्षण का सहारा देकर विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया गया। अनुसूचित जाति की महिलाओं की स्थिति अन्य सभी उपेक्षित वर्गों की तुलना में अधिक विचारनीय मुद्दा बन गया था। जिनमें सुधार की आवश्यकता को महसूस करते हुए ही संविधान में इनके लिए विधिक प्रावधान किये गये। इनकी राजनीतिक क्षेत्र में सहभागिता बढ़ाने के लिए किये गये प्रावधान भी इसी का एक उदाहरण मात्र है। वर्तमान समय में जबकि सभी वर्ग की महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक स्थिति में परिवर्तन परिलक्षित होता है, अनुसूचित जाति की महिलाओं में आयी राजनीतिक चेतना की स्थिति का आकलन करना तथा किये गये विधिक प्रावधानों की सार्थकता की स्थिति को जानना समय के अनुरूप अपरिहार्य प्रतीत होता है। विषय के इन्हीं महत्व के कारण प्रस्तुत शोध पत्र हेतु उक्त शीर्षक विषय का चयन किया गया है।

मूल शब्दः अनुसूचित जाति, संविधान, वीरांगना, सत्याग्रह, मताधिकार, व्यवस्थापिका, लोकतंत्र

प्रस्तावना
महिलाएं प्रथम विश्व युद्ध के समय से ही राजनीति से परिचित हो चुकी थी। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद कुछ महिला संगठनों के बनने, कुछ महिला नेताओं के उभरने तथा कुछ राजनीतिक संगठनों में महिलाओं के भाग लेने की पृष्ठभूमि के कारण काँग्रेस को अपने आन्दोलनकारी कार्यक्रमों में महिलाओं को शामिल करना संभव हो सका। इस प्रकार एक स्वर्ण युग की दुहाई देकर महिलाओं की राजनीतिक भूमिका को मान्यता मिली और राजनीतिक रणनीतिकारों ने महिलाओं के लिए जो गतिविधियाँ तय की वह स्त्रियों की सामाजिक, लिंगीय विचारधारा के अनुरूप नहीं थी। ऐनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू जैसी महिला नेताओं ने काँग्रेस में महिलाओं की मौजूदगी तथा पहल करने का जो एहसास दिलाया उससे प्रेरित होकर महिलाओं ने राजनीति में शामिल होने की सोची। तब उन्हें राजनीतिक लक्ष्यों के साथ अपनी स्थिति व दर्जे में सुधार की आशा जगी। लेकिन उन दोनों नेताओं में से एक ने भी महिलाओं के लिए न तो कोई कार्यक्रम तय किया और न ही जगह बनाई। वह तो जब काँग्रेस ने बड़े पैमाने पर जन आंदोलन शुरू किया तब महिलाओं को आंदोलन में शामिल करने के प्रयत्न किए गए।
गाँधी जी आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी के पूर्ण पक्षधर थे। वे महिलाओं की सभाओं में अपने भाषणों में, आंदोलन में उनकी भागीदारी को अनिवार्य बताते थे और साथ ही उन्हें यह कह कर प्रेरित करते थे कि देवियों और वीरांगनाओं की तरह आंदोलन में उनकी अपनी अलग भूमिका है और उनमें इन भूमिकाओं को निभाने की शक्ति व हिम्मत है। गाँधी जी ने महिलाओं को विश्वास दिलाया कि आंदोलन को उनके महत्वपूर्ण योगदान की आवश्यकता है। वे कहते थे कि जब महिलाएं सत्याग्रह आंदोलन में शामिल होंगी तभी पुरुष भी आंदोलन में पूरा योगदान दे पायेंगे। अपने अनुयायियों को उन्होंने यह भी याद दिलाया कि 85 प्रतिशत भारतीय महिलाएं निर्धनता और अज्ञान के अंधकार में डूबी हुई है। उन्होंने महिला नेताओं से कहा कि उन्हें सामाजिक सुधार, महिला शिक्षा एवं महिला अधिकारों के लिए कानून बनाने के लिए काम करना चाहिए ताकि उन्हें उनके बुनियादी अधिकार मिल सके। उन्होंने कहा कि महिला नेताओं को सीता, द्रौपदी और दमयंती की तरह सात्विक, ढृढ़ और नियंत्रित होना चाहिए। तभी वह स्त्रियों के भीतर पुरुषों के साथ बराबरी का भाव जगा सकेंगी और अपने अधिकारों के प्रति सचेत तथा स्वतंत्रता के प्रति जाग्रत कर सकेंगी।
वोट डालने के अधिकार के लिए भारतीय महिलाओं को संघर्ष की शुरूआत स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही हो गई थी। एनीबेसेंट का होमरूल आंदोलन और महिला अधिकारों के लिए उनकी वकालत ने अनेक महिलाओं को इस वास्तविकता के प्रति सचेत कर दिया कि वे राजनीतिक दायरे से बाहर है। अपने राजनीतिक अधिकार के लिए भारतीय महिलाओं की तरफ से पहली माँग 1917 से उठी थी कि महिलाओं को भी नागरिक का दर्जा दिया जाए।
सन् 1919 में जब मताधिकार के प्रश्न पर बात करने के लिए साउथ बोरों कमीशन भारत आया तो श्रीमती एनीबेसेंट के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल भारतीय महिलाओं के मताधिकार के पक्ष में दबाव डालने के लिए आयोग से मिला था। इस प्रतिनिधि

मंडल में श्रीमती सरोजिनी नायडू भी शामिल थी। मद्रास विधान परिषद् ने महिलाओं को 1920 में मताधिकार दे दिया, इसका अनुसरण करते हुए बम्बई विधान परिषद् ने भी ऐसा ही निर्णय पारित कर दिया।

सन् 1926 में भारत के विभिन्न प्रान्तों की व्यवस्थापिका के पहली बार चुनाव हुए इनमें मद्रास में 22 प्रतिशत, बम्बई में 12 प्रतिशत, पंजाब में 12 प्रतिशत, बंगाल में 9.6 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 4.5 प्रतिशत महिलाओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। श्रीमती माधवी अमाल कोचीन व्यवस्थापिका के लिए मनोनीत हुई। फिर उपाध्यक्ष भी बनी। मुत्थुलक्ष्मी रेड्डी मद्रास विश्वविद्यालय की पहली महिला चिकित्सक स्नातक थी।

अधिकाधिक महिलाओं के मताधिकार की माँग साइमन कमीशन के भारत दौरे के साथ दूसरे चरण में जा पहुँची। एक महिला प्रतिनिधि मंडल ने मताधिकार प्राप्त महिलाओं को बेहद कम संख्या को देखते हुए तर्क दिया कि महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए उनके लिए सीटें आरक्षित की जाये। 1929 में लंदन में हुए गोलमेज सम्मेलन के लिए ऑल इण्डियन वूमेन्स कांफ्रेस का पूरजोर आग्रह था कि सम्मेलन में महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व हो। परिणामस्वरूप सरकार ने श्रीमती राधाबाई सुब्रमण्यम और बेगम शाहनवाज को प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत कर दिया। 1931 के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों की घोषणा पत्र पारित कर दिया। इस घोषणा पत्र से पुरुषों के समकक्ष स्त्रियों को समान मताधिकार की माँग को और प्रखरता मिली।

भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रान्तीय विधवाओं में महिलाओं के लिए 4 सीटें आरक्षित कर दी गई। 1935 के अधिनियम के अन्तर्गत मताधिकार को महिलाओं की और बड़ी संख्या तक बढ़ा दिया गया। इस अधिनियम 1935 के बाद इस अनुपात का 5:1 कर दिया गया। 1937 में चुनावों में 8 महिलायें निर्वाचित हुयी जो कि स्वयं में एक रिकार्ड है।

अनुच्छेद 243 – इसमें यह उपबन्ध है कि यदि अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 30 प्रतिशत है और अनुसूचित जनजातियों की 20 प्रतिशत है तो उनके लिए क्रमशः 30 प्रतिशत और 21 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे। इस आधार पर आरक्षित स्थानों में 1/3 स्थान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इसके अलावा राज्य विधि द्वारा ग्राम और अन्य स्तरों पर पंचायत के अध्यक्ष के पदो ंके लिए भी आरक्षण कर सकेगा। 243(ज)(3) के अन्तर्गत अनुसूचित जाति व जनजाति की महिलाओं हेतु नगरपालिका चुनाव मे भी आरक्षण दिया गया है। इसमें भी इनके लिए 1/3 सीटें आरक्षित है। 243(ज)(4) के अन्तर्गत नगरपालिका चुनाव में अनुसूचित जाति व जनजाति की महिलाओं को चेयरपर्सन बनने हेतु भी आरक्षण दिया गया है।

भारतीय संविधान के द्वारा महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार, समानताएं प्रदान की गई है। भारत के प्रत्येक स्त्री–पुरुष को सक्रिय राजनीति में प्रवेश करने तथा देश को विधान निर्मात्री सभाओं का सदस्य बनकर नीति–निर्माता के रूप में अपनी सेवाओं से देश को लाभान्वित करने की स्वतंत्रता है। आज महिलाओं की स्थिति सोचनीय एवं दयनीय दोनों ही है। इतिहास का यदि अवलोकन किया जाये ंतो हम पायेंगे कि इस स्वतंत्रता का प्रयोग जितना पुरुषों ने किया उतना महिलाओं ने नहीं किया। क्या आज महिलाओं के समाज में समानता की वह स्थिति प्राप्त है जिसका दावा हमारा संविधान करता है? क्या भारत के राजनैतिक विकास में महिलाओं की भागेदारी उतनी ही है जितनी होनी चाहिए? क्या स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद भी महिला नेतृत्व तथा प्रतिनिधित्व की एक सशक्त पीढ़ी उभरकर सामने आयी है इन समस्त प्रश्नों के उत्तर आज भी नकारात्मक है। आज भी सक्रिय राजनीति में तथा विधान मंडलों में महिलाओं को प्रवेश उनकी स्वयं की इच्छा एवं निर्णय पर कम निर्भर करता है।

संविधान के अनुसार विधानसभा की सदस्यता के लिये शिक्षा, जाति, धर्म, व्यवसाय आर्थिक स्थिति एवं लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव की व्यवस्था नहीं की गयी है। एक महिला होने के नाते समाज में स्त्रियों के साथ होने वाले भेदभाव विश्व के अनेक देशों में देखा जा सकता है भारत में भी यह व्याप्त है। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति में यह अत्याचार ज्यादा स्तर तक शोषण होता है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार के द्वारा अनेक योजनाएं बनाई गयी है। आजादी से पहले एवं बाद भी स्त्रियों ने पर्याप्त सामाजिक कार्य किए है, वे कल्याण के भी कार्य करती रहीं किन्तु वे अपनी नारी शक्ति का निर्माण नहीं कर पायी, जिसके विषय में महिलाओं को सोचना होगा, तथा सशक्तिकरण के प्रयास करने होंगे।

भारतीय संविधान के द्वारा महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार, समानताएं प्रदान की गई है। भारत के प्रत्येक स्त्री–पुरुष को सक्रिय राजनीति में प्रवेश करने तथा देश को विधान निर्मात्री सभाओं का सदस्य बनकर नीति–निर्माता के रूप में अपनी सेवाओं से देश को लाभान्वित करने की स्वतंत्रता है।

आज महिलाओं की स्थिति सोचनीय एवं दयनीय दोनों ही है। इतिहास का यदि अवलोकन किया जाये ंतो हम पायेंगे कि इस स्वतंत्रता का प्रयोग जितना पुरुषों ने किया उतना महिलाओं ने नहीं किया। क्या आज महिलाओं के समाज में समानता की वह स्थिति प्राप्त है जिसका दावा हमारा संविधान करता है? क्या भारत के राजनैतिक विकास में महिलाओं की भागेदारी उतनी ही है जितनी होनी चाहिए? क्या स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद भी महिला नेतृत्व तथा प्रतिनिधित्व की एक सशक्त पीढ़ी उभरकर सामने आयी है इन समस्त प्रश्नों के उत्तर आज भी नकारात्मक है। आज भी सक्रिय राजनीति में तथा विधान मंडलों में महिलाओं को प्रवेश उनकी स्वयं की इच्छा एवं निर्णय पर कम निर्भर करता है।

संविधान के अनुसार विधानसभा की सदस्यता के लिये शिक्षा, जाति, धर्म, व्यवसाय आर्थिक स्थिति एवं लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव की व्यवस्था नहीं की गयी है। एक महिला होने के नाते समाज में स्त्रियों के साथ होने वाले भेदभाव विश्व के अनेक देशों में देखा जा सकता है भारत में भी यह व्याप्त है। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति में यह अत्याचार ज्यादा स्तर तक शोषण होता है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार के द्वारा अनेक योजनाएं बनाई गयी है। आजादी से पहले एवं बाद भी स्त्रियों ने पर्याप्त सामाजिक कार्य किए है, वे कल्याण के भी कार्य करती रहीं किन्तु वे अपनी नारी शक्ति का निर्माण नहीं कर पायी, जिसके विषय में महिलाओं को सोचना होगा। तथ्यों के इन्हीं उद्देश्य के आधार पर प्रस्तुत शोध पत्र का आलेखन किया गया है।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत शोध कार्य हेतु 'आज की महिलाओं में राजनीतिक चेतना एवं संवैधानिक प्रावधानों की सार्थकता 'तहसील बाजपुर की अनुसूचित जाति के विशेष संदर्भ में' शीर्षक विषय का चयन किया गया है। इस विषय के समकालीन महत्व को देखते हुए इसके लिए निम्नलिखित उद्देश्यों का निर्धारण किया गया है–

1. अनुसूचित जाति के महिलाओं के लिए संविधान में किए गये प्रावधानों का अध्ययन करना
2. अपने राजनीतिक अधिकार के प्रति अनुसूचित जाति की महिलाओं में जागरूकता स्तर का अध्ययन करना।
3. 3 अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए किये गये संवैधानिक प्रावधानों की सार्थकता का अध्ययन करना।

अध्ययन की पद्धति

प्रस्तुत शोध पत्र समाजशास्त्रीय अध्ययन पर आधारित है। इसके लिए वैज्ञानिक पद्धति के विभिन्न चरणों का क्रमवद्ध प्रयोग किया गया है। इसके लिए सर्वप्रथम अन्वेषणात्मक शोध अभिकल्प का प्रयोग किया गया है। यह अध्ययन मूल रूप से प्राथमिक तथ्यों पर आधारित है, जिसके लिए अध्ययन क्षेत्र के रूप में जनपद उधम सिंह नगर अंतर्गत तहसील बाजपुर का चयन किया गया है। इस क्षेत्र की समस्त अनुसूचित जाति के परिवार इस अध्ययन के अध्ययन समग्र हैं। अध्ययन की सरलता एवं विषय की गहनता के दृष्टिगत अध्ययन प्रतिदर्श के चयन हेतु स्तरीकृत निदर्शन पद्धति का प्रयोग किया गया है। इस क्रम में सर्वप्रथम तहसील बाजपुर के ग्रामीण क्षेत्र भौना इस्लाम नगर एवं नगरीय क्षेत्र संजय नगर दोनों ही स्थानों की ग्राम पंचायत, नगर परिषद एवं वार्ड नम्बर 7 की सदस्या महिला ही हैं, का चयन किया गया। इसके पश्चात इन क्षेत्रों से सोद्देश निदर्शन पद्धति द्वारा क्रमशः ग्रामीण क्षेत्रों से 190 प्ररिवार तथा नगरीय क्षेत्रों से 120 परिवारों का चयन किया गया तथा इन चयनित परिवारों की महिला सदस्य को प्रस्तुत अध्ययन कार्य हेतु अध्ययन क्षेत्र के रूप में चयनित किया गया। इस प्रकार इन 310 प्रतिदर्श से प्राप्त सूचनाओं का वर्गीकरण एवं विश्लेषण कर निष्कर्ष का आलेखन किया गया है।

तथ्यों का विश्लेषण

भारतीय समाज में महिलाओं में राजनीतिक विकास जागृत कर उन्हें पुरुषों के समान स्तर पर लाने के लिए भारतीय समाज एवं प्रशासन दोनों को ही समान रूप से सहयोग करना होगा। गरीबी कम करने, साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाने, बेरोजगारी कम करने तथा समाज में व्याप्त असमानता को दूर करने के प्रयासों को केन्द्र में जब तक भारत की असंख्य नारी समूह को नहीं रखा जायेगा तथा जब तक स्वयं महिलायें अपनी स्थिति में बदलाव के लिए चेतन्य नहीं होंगी, तब तक राजनीति और सत्ता दोनों ही महिला विकास और महिलाओं से दूर रहेंगे। यद्यपि कुछ हद तक महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता आई है और वे राजनीतिक वर्चस्व की खोज में चुल्हे–चौके से चौपाल की ओर रूख कर चुकी है।

राजनीति में जमीन तलाशती आज महिलायें दहलीज के पार है, कल तक उसके सपने जो पलकों में ही चिपके रहते थे, आज उन सपनों ने आकार प्राप्त करना शुरू कर दिया है। महिलाओं के उन्हीं सपनों के आकार को देखने के लिए तथा उनमें राजनीतिक के प्रति कितनी जागरूकता आई है यह जानने के लिए महिलाओं से राजनीतिक कार्यो में उनकी रूचि से के संबंध में प्रश्न पूछे गये जिनके प्रत्युत्तर का वर्गीकरण सारणी संख्या 01 के अंतर्गत किया गया है।

सारणी 1

उत्तरदाताओं का राजनीति में रुचि के प्रति प्रत्युत्तर							
क्रम सं0	राजनीति में रूचि	ग्रामीण		नगरीय		कुल	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	114	60.0	69	57.5	183	59.0
2	नहीं	68	35.8	45	37.5	113	36.5
3	कोई उत्तर नहीं	08	4.2	06	5.0	14	4.5
	योग	190	100	120	100	310	100

सारणी क्रमांक 01 के अनुसार 59.0 कुल उत्तरदाताओं की राजनीति में रूचि है। तथ्यों की तुलना से यह स्पष्ट होता है कि 60.0 प्रतिशत ग्रामीण जबकि 57.5 प्रतिशत नगरीय उत्तरदाताओं ने राजनीतिक में रूचि के लिए हाँ व्यक्त किया है। 36.5 कुल उत्तरदाताओं की राजनीति में रूचि नहीं है। तथ्यों की तुलना से यह स्पष्ट होता है कि 35.8 प्रतिशत ग्रामीण जबकि 37.5 प्रतिशत नगरीय उत्तरदाताओं का राजनीतिक में कोई रूचि नहीं है।

भारतीय संविधान में 73वां तथा 74वां संवैधानिक संशोधन भारतीय राजनीति की संरचनात्मक व्यवस्था में बहुत बड़ी क्रान्ति का द्योतक है। ऐसी आशा थी कि इन संशोधन अधिनियमों से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के ढांचे, संरचना एवं कार्यकलापों में महत्वपूर्ण परिवर्तन एवं सुधार होंगे। इनसे देश में लोकतंत्र की नींव मजबूत होगी क्योंकि अभी तक पिछले कई दशकों में शासन सत्ता का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर ही रहा है जबकि सच्चे लोकतंत्र की सफलता के लिए शासन सत्ता नीचे से ऊपर की ओर होना चाहिए। ये संवैधानिक संशोधन शासन सत्ता के नीचे से ऊपर की ओर प्रवाह की दिशा में की जा रही पहल के परिचायक है। भारत जैसे विशाल देश में लोकतंत्र के सुचारू संचालन के लिए लोकसभा एवं विधान सभाओं के लिए ही निर्वाचित प्रतिनिधि पर्याप्त नहीं है तथा शासन का प्रयोग केवल केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा ही हो यह पर्याप्त नहीं है। लोकतंत्र को सामान्यजन के दरवाजे तक लाने के लिए आवश्यकता है कि गांवों तथा नगरों के स्तर पर भी लोगों का प्रतिनिधित्व हो तथा ग्रामीण एवं नगरीय जन प्रतिनिधियों द्वारा स्थानीय स्तर पर स्थानीय लोगों के हित में स्थानीय कार्यों के सम्पादन हेतु शासन सत्ता का प्रयोग हो। इस दिशा में 73वां संवैधानिक संशोधन उल्लेखनीय शुरूआत है। 74 वें संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान किये गये। महिलाओं को प्रदत्त आरक्षण की व्यवस्था से समाज के विभिन्न वर्गों की महिलाओं को पंचायत राज संस्थाओं में स्थान प्राप्त हुआ है। महिलाओं की सामाजिक एवं राजनीतिक भूमिका स्वतंत्रता के पश्चात् से नगण्य रहने के कारण इन्हें पिछड़े वर्गों में रखकर आरक्षण के माध्यम से प्रतिनिधित्व प्रदान किया।

"सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगार में अनुसूचित जातियों की समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित करने तथा सार्वजनिक शैक्षिक संस्थानों के साथ ही विविध राजनीतिक प्रजातांत्रिक निकायों एवं संस्थानों में उनको प्रवेश योग्य बनाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों के आरक्षण को एक संवैधानिक प्रावधान के रूप में सम्मिलित किया गया। बहिष्करण एवं भेदभाव के प्रचलन के कारण अनुसूचित जातियों की इस समानुपातिक सहभागिता को, 'सकारात्मक भेदभाव' के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता था। अतः सरकार की आरक्षण नीति को एक सकारात्मक क्रिया के रूप में देखा जा सकता है। इन्हीं महत्वपूर्ण कारकों को ध्यान में रखते हुए चुनाव में महिला आरक्षण के संबंध में उत्तरदाताओं के विचारों का संकलन किया गया, जिसका वर्गीकरण सारणी संख्या 02 में किया गया है।

सारणी 2

चुनाव में महिला आरक्षण के प्रति उत्तरदाताओं की मनोवृत्ति							
क्रम सं0	मनोवृत्ति	ग्रामीण		नगरीय		कुल	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1	पूर्णतः	59	31.1	65	54.2	124	40.0
2	आंशिक	115	60.5	48	40.0	163	52.6
3	उदासीन	12	6.3	04	3.3	16	5.2
4	नहीं	04	2.1	02	1.7	06	1.9
5	बिल्कुल नहीं	—	—	01	0.8	01	0.3
	योग	190	100	120	100	310	100

उपरोक्त सारणी 02 के अनुसार 92.6 प्रतिशत कुल उत्तरदाता चुनाव में महिला आरक्षण के प्रति सहमत है। तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि 91.6 प्रतिशत ग्रामीण जबकि 94.2 प्रतिशत नगरीय उत्तरदाताओं ने चुनाव में महिला आरक्षण होने के प्रति सहमत है। 2.2 प्रतिशत कुल उत्तरदाता चुनाव में महिला

आरक्षण के प्रति असहमत है। तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि 2.1 प्रतिशत ग्रामीण जबकि 2.5 प्रतिशत नगरीय उत्तरदाताओं का मानना है कि चुनाव में महिला आरक्षण बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आरक्षण वर्तमान समय में महिलाओं के लिए एक बैसाखी के समान है यदि महिलाओं को आरक्षण की आदत होने लगेगी तो उन्हें कदम–कदम पर आरक्षण का ही भरोसा ही रहेगा।

भारत में चुनावों के समय हमें ऐसे एक नहीं कई उदाहरण देखने को मिलते है जिसमें महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों पर खड़ी महिला उम्मीदवारों के पूरे चुनाव का संचालन, उनके पतियों, भाईयों, या अन्य पुरुष रिश्तेदारों द्वारा किया जाता है। समूचे निर्वाचन प्रक्रिया में महिला उम्मीदवार के दर्शन सिर्फ नामांकन के समय ही हुए और बाकी का काम पुरुष द्वारा ही किया जाता है। महिला उम्मीदवार घर की दहलीज के भीतर चूल्हे में खटती रहती है और उनके पतियों एवं घर के पुरुषों के द्वारा उन उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे जाते है। महिलाओं को चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर खड़ा तो किया जाता है परन्तु महिलाओं की सत्ता में भागीदारी पर उनके घर के पुरुषों को स्वीकार नहीं होता है। वे महिलाओं को मात्र अपने स्वार्थ के लिए सत्ता में उतारते है एवं महिला उम्मीदवार के चुनाव मे जीतने पर स्वयं सत्ता में राज करते है। चुनाव में महिला आरक्षण को उपयुक्त न समझने के निम्नलिखित कारकों को उत्तरदाताओं ने प्रथम एवं द्वितीय वरीयता के आधार पर दो–दो कारण बताती है, जिनका वर्गीकरण एवं विश्लेषण सारणी संख्या 03 में किया गया है।

सारणी 3

चुनाव में महिला आरक्षण को उपयुक्त नहीं समझने वाली उत्तरदाताओं के वरीयता के आधार पर कोई दो कारण								
क्रम सं0	वरीयता के आधार पर दो कारण		ग्रामीण		नगरीय		कुल	
			प्रथम वरीयता	द्वितीय वरीयता	प्रथम वरीयता	द्वितीय वरीयता	प्रथम वरीयता	द्वितीय वरीयता
1	ज्ञान की कमी होने के कारण	आवृत्ति	–	01	–	–	–	01
		प्रतिशत	–	25.0	–	–	–	14.3
2	अयोग्य होने के कारण	आवृत्ति	02	01	02	–	04	01
		प्रतिशत	50.0	25.0	66.7	–	57.2	14.3
3	महिला प्रधान होने पर भी सारा कार्य पुरुष ही करते है	आवृत्ति	01	01	01	02	02	03
		प्रतिशत	25.0	25.0	33.3	66.7	28.5	42.9
4	अशिक्षा	आवृत्ति	01	01	–	01	01	02
		प्रतिशत	25.0	25.0	–	33.3	14.3	28.5
योग		आवृत्ति	04	04	03	03	07	07
		प्रतिशत	100	100	100	100	100	100

सारणी संख्या 03 के अनुसार चुनाव में महिला आरक्षण के प्रति असहमत में 57.2 प्रतिशत कुल उत्तरदाता अयोग्य होने को प्रथम व 42.9 प्रतिशत महिला प्रधान होने पर भी सारा कार्य पुरुष के करने को द्वितीय वरीयता देती है। तथ्यों की तुलना करने पर यह स्पष्ट होता है कि 50.0 प्रतिशत ग्रामीण उत्तरदाताअयोग्य होने के कारण को प्रथम व सभी कारणों को द्वितीय वरीयता दी है जबकि 66.7 प्रतिशत नगरीय उत्तरदाता चुनाव में महिला आरक्षण को उपयुक्त नहीं समझने का कारण महिलाओं के अयोग्य होने को एवं महिला प्रधान होने पर भी सारा कार्य पुरुष के करने को प्रथम वरीयता,महिला प्रधान होने पर भी सारा कार्य पुरुष के करने को द्वितीय वरीयता देती है। भारतीय परिपेक्ष्य में महिला मताधिकार की अपनी कमजोरियाँ एवं विशेषताएं है। मतदान आंतरिक प्रेरणा एव स्वनिर्णय से नियंत्रित होता है। परन्तु महिलायें प्रायः मतदान के प्रति उदासीनता व्यक्त करती है। वे मतदान दिवस को एक उत्सव की तरह मानती है जो उन्हें कुछ घंटों के लिए उनके नीरस एवं उबाऊ दिनचर्या से फुर्सत के क्षण उपलब्ध कराता है। मतदान करते समय अधिकांशतः महिलाएं जातिगत पूर्वाग्रह अथवा परिवार के पुरुषों के समर्थन के आधार पर अपने मत का प्रयोग करती है एवं उन्हें प्रायः यह भी पता नहीं होता कि वे अपने किसी विशेष उम्मीदवार को वोट क्यों दे रही है। इससे संबंधित विचारों के प्रति मनोवृत्ति जानने का प्रयास किया गया है, जिनका वर्गीकरण सारणी संख्या 04 के अंतर्गत किया गया है।

सारणी 4

उत्तरदाताओं का अपने मतदान प्रयोग करने के प्रति प्रत्युत्तर							
क्रम सं0	मतदान का प्रयोग	ग्रामीण		नगरीय		कुल	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1	स्वयं इच्छानुसार	61	32.1	75	62.5	136	43.9
2	परिवार के सलाह से	125	65.8	45	37.5	170	54.8
3	उच्च जाति से प्रभावित होकर	04	2.1	–	–	04	1.3
4	राजनेताओं के दबाव में आकर	–	–	–	–	–	–
	योग	190	100	120	100	310	100

सारणी संख्या 04 के अनुसार प्रथम अधिकांश 54.8 प्रतिशत कुल उत्तरदाता परिवार की सलाह से अपने मत का प्रयोग करती है। 37.5 प्रतिशत नगरीय उत्तरदाताओं की तुलना में 65.8 प्रतिशत ग्रामीण उत्तरदाता (नगरीय उत्तरदाताओं से 1.5 गुना से अधिक) अपने मतदान का प्रयोग अपने परिवार की सलाह से ही करती है। द्वितीय अधिकांश 43.9 प्रतिशत कुल उत्तरदाता स्वयं इच्छानुसार अपने मत का प्रयोग करती है। 32.1 प्रतिशत ग्रामीणउत्तरदाताओं की तुलना में 62.5 प्रतिशत नगरीयउत्तरदाता अपने मतदान का प्रयोग स्वयं इच्छानुसार करती है।

आजादीके आन्दोलन में गांधी जी ने विभिन्न आन्दोलनों में महिलाओं का खासा प्रतिनिधित्व दिया था। यह प्रतिनिधित्व वास्तविक था न कि मात्र प्रतीकात्मक था। यदि महिलाओं को वास्तव में सशक्त बनाना है, अगर उन्हें वास्तव में आजादी देनी है तो उन्हें सत्ता में हिस्सेदारी देनी होगी, राजनीति में भागीदारी

देनी होगी। लैंगिक न्याय में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी प्रकार की आजादियाँ सम्मिलित है।

राजनीति और सत्ता में भागीदारी रूपी बैरोमीटर से किसी भी समाज के विकास का आकलन आसानी से किया जा सकता है क्योंकि सत्ता में भागीदारी होगी तो अधिकार होंगे और प्राप्त अधिकार ही विकास का सबसे अच्छा सूचक है। आज के राजनीति प्रधान समाज में किसी भी वर्ग का राजनैतिक प्रतिनिधित्व बहुत मायने रखता है। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। समय परिवर्तन होने के साथ–साथ महिलाओं में भी राजनैतिक चेतना का संचार हो रहा है। आज की महिलाये सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र के साथ–साथ राजनीति में भी बढ़–चढ़कर हिस्सा ले रही है। राजनीति में आने से महिलाओं के जीवन में बदलाव नजर आने लगा है। उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो रहा है, तथा पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने में उन्हें अब कोई हिचकिचाहट नहीं होती है। ऐसे में चयनित उत्तरदाताओं से वर्तमान में राजनीति में अनुसूचित जातियों की सहभागित से संबंधित उनकी मनोवृति का आकलन किया गया जिससे संबंधित तथ्यों का वर्गीकरण सारणी संख्या 05 में किया गया है।

सारणी 5: वर्तमान में राजनीति में अनुसूचित जातियों की सहभागिता का स्तर

क्रम सं0		सहभागिता का स्तर	राजनीति में अनुसूचित जातियों की सहभागिता					
			स्वतंत्र मतदान का अधिकार		जातिगत राजनीतिक दल का निर्माण		सार्वजनिक सभाओं में सहभागिता	
			आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1	ग्रामीण	पूर्णतः	74	38.9	20	10.5	46	24.2
		आंशिक	90	47.4	63	33.2	79	41.6
		उदासीन	20	10.5	50	26.3	37	19.5
		नहीं	03	1.6	38	20.0	16	8.4
		बिल्कुल नहीं	03	1.6	19	10.0	12	6.3
		योग	190	100	190	100	190	100
2	नगरीय	पूर्णतः	74	61.6	11	9.2	34	28.3
		आंशिक	38	31.6	27	22.5	42	35.0
		उदासीन	06	5.0	45	37.5	29	24.2
		नहीं	01	0.9	22	18.3	12	10.0
		बिल्कुल नहीं	01	0.9	15	12.5	03	2.5
		योग	120	100	120	100	120	100
	कुल	पूर्णतः	148	47.7	31	10.0	80	25.8
		आंशिक	128	41.3	90	29.0	121	39.0
		उदासीन	26	8.4	95	30.6	66	21.4
		नहीं	04	1.3	60	19.4	28	9.0
		बिल्कुल नहीं	04	1.3	34	11.0	15	4.8
		योग	310	100	310	100	310	100

सारणी संख्या 05 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि 89.0 प्रतिशत कुल उत्तरदाता स्वतंत्र मतदान का अधिकार के प्रति सहमत है। तुलना करने से स्पष्ट होता है कि 86.3 प्रतिशत ग्रामीण उत्तरदाता की तुलना में 93.2 प्रतिशत नगरीय उत्तरदाता अधिक है। 39.0 प्रतिशत कुल उत्तरदाता जातिगत राजनीतिक दल का निर्माण के प्रति सहमत है। तुलना करने से स्पष्ट होता है कि 43.7 प्रतिशत ग्रामीण उत्तरदाता 31.7 प्रतिशत नगरीय उत्तरदाताओं से अधिक है। 64.8 प्रतिशत कुल उत्तरदाता का मानना है कि उन्हें सार्वजनिक सभाओं में सहभागिता का अधिकार है।

निष्कर्ष

अनुसूचित जाति कीमहिलाएं वर्षों तक अपने अधिकारों से वंचित रही है। आजादी से पूर्व नहीं अपितु स्वाधीन भारत में भी इनकी स्थिति वर्षों तक विचारनीय मुद्दा बना हुआ था। सूचना समाज का अभ्युदय तथा बदलती सामाजिक–राजनीतिक आवश्यकताओं ने इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान किया है। इन सभी कारकों के सम्मिलित प्रभाव के रूप में आज यह स्पष्ट परिलक्षित है कि अनुसूचित जाति की महिलाएं जागरूक हुई हैं। विभिन्न अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि इस जाति की महिलाएं आज अपनी एक अलग पहचान बना रही है, ये और बात है कि इस नाम के पीछे आज भी तथाकथित पुरूषों का वर्चस्व जारी है, जिसे बदलने की आवश्यकता है। इस अध्ययन में भी इन तथ्यों की पुष्टि हुई है। साथ ही इस जाति की महिलाओं में आ रही जागरूकता के पीछे निःसंदेह विधिक प्रावधानों का योगदान रहा है। पितृसत्तात्मक सामाजिक ढ़ॉचा होने के कारण महिलाओं को आज भी अपने कार्य सम्पादन के दौरान अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बावजूद इन समस्याओं के अनुसूचित जाति की महिलाओं में राजनीतिक चेतना का विकास हुआ है।

संदर्भ सूची

1. यादव, आशा, भारत में महिलाओं के मानवाधिकारों का संरक्षण, अप्रकाशित शोध प्रबन्ध, 2004
2. आर्य, साधना, मेनन निवेदिता, लोकनीता जिनी, नारीवादी राजनीतिः संघर्ष एवं मुद्दे, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
3. थोरात सुखदेव, भारत में दलित, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2011
4. कश्यप, डॉ. पुष्पा, भारत में महिलाओं का राजनीतिक विकास, रोजनामचा, रविवार, 12 फरवरी, 2012
5. देवी लक्ष्मी इनसाइक्लोपीडिया ऑफ वीमेन डेवेलपमेंट एण्ड फैमिली वेलफेयर, वो. 5, अनमोल पब्लिकेशन, नई दिल्ली
6. चौहान, डॉ. श्याम सुन्दर सिंह प्रतियोगिता दर्पण, मई 2014
7. पारसन्स, टॉलकॉट, "एज एण्ड सेक्स इन सोशियल स्ट्रक्चर ऑफ यूनाइटेड स्टेट, अमेरिका", पब्लिशर अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन, 1942